

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवाँ जिला बून्दी (राज०)

पत्र संख्या :- 8/2024  
MS NO :- 2024/132

दायर दिनांक - 09.7.2024  
पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती प्रीति मीणा

1. सीताराम आ० कल्याण जाति खाती नि० शीतला की टेक उनियारा तहसील उनियारा।

प्रार्थी

बनाम

भूमिधारी जयें तहसीलदार साहब नैनवाँ तहसील नैनवाँ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र:- अंतर्गत धारा 111, 128 एल आर एक्ट

उपस्थिति:-

प्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक श्री रामबाबू शर्मा।

निर्णय दिनांक 30.05.2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि प्रार्थी के खातेदारी की ग्राम गंभीरी प.म. मानपुरा मे खसरा नम्बर 611/4 रकबा 0.8495 हैक्टर भूमि स्थित है जिसके बारे मे आसपास के पड़ोसी सीमाओं के बारे मे विवाद करते रहते है तथा प्रार्थी के खातेदारी भूमि की मेडबंदी को दिनांक 20.6.2024 को तोडने पर आमादा हो गया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी पेश कर धारा 111, 128 एलआर एक्ट के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश पत्थरगढी करवाये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

हमने पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा उक्त भूमि के सीमाज्ञान के मौका पर्चा की प्रति पेश की हुई है तथा प्रार्थना पत्र को चलते लगभग 10 माह से अधिक का समय हो चुका है जबकि यह एक समरी ट्रायल प्रार्थना पत्र है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नैनवाँ को इस आशय के साथ आदेशित किया जाता है कि ग्राम गंभीरी प.म. मानपुरा मे प्रार्थीगण के खाते एवं कब्जे की भूमि खसरा नम्बर 611/4 रकबा 0.8495 हैक्टर भूमि पर प्रार्थी का यदि संपूर्ण हिस्से पर कब्जा पाया जाता है तो नायब तहसीलदार अथवा भू-अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी की टीम गठित कर व आवश्यक हो तो पुलिस इमदाद प्राप्त कर नियमानुसार शुल्क राजकोष में जमा कराने पर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी  
नैनवाँ